सीओ.डीआईसीजी.आईओडी.सं. S1803/04-01-046/2025-2026 06 फरवरी 2026

सभी बीमाकृत बैंक

महोदय/महोदया,

जोखिम आधारित प्रीमियम (आरबीपी) फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन

जैसा कि आप जानते हैं, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) भारत में डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार 1962 से जमा बीमा योजना का संचालन कर रहा है। प्रारंभ से ही, डीआईसीजीसी ने इस योजना के वित्तपोषण के लिए एक समान दर प्रीमियम लगाया है। वर्तमान में, दिनांक 5 फरवरी 2020 के डीआईसीजीसी परिपत्र डीआईसीजीसी.आरपीआईसी.सं. 2676/02.01.003/2019-20 के अनुसार बैंकों से प्रति वर्ष निर्धारणीय जमाराशि (एडी) के प्रति ₹100 पर 12 पैसे का प्रीमियम (जो छमाही आधार पर भुगतान किया जाता है) चार्ज किया जाता है। हालांकि समान दर प्रीमियम प्रणाली समझने और लागू करने में सरल है, परंतु यह उन बैंकों को अलग नहीं करता जो जोखिमों का बेहतर तरीके से प्रबंधन करते हैं।

2. एक व्यापक समीक्षा के आधार पर, डीआईसीजीसी ने डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 15(1) के प्रावधान के संदर्भ में, रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से 1 अप्रैल 2026 से जोखिम आधारित प्रीमियम (आरबीपी) फ्रेमवर्क लागू करने का निर्णय लिया है, जो बीमाकृत बैंकों की अलग-अलग श्रेणियों के लिए अलग-अलग प्रीमियम दरों का प्रावधान करता है। आरबीपी फ्रेमवर्क बैंकों द्वारा उचित जोखिम प्रबंधन को बढ़ावा देता है और बेहतर प्रबंधित बैंकों को प्रति वर्ष निर्धारणीय जमाराशि (एडी) के प्रति ₹100 पर 12 पैसे के कार्ड रेट से कम प्रीमियम का भुगतान करने में सुविधा प्रदान करता है।

जोखिम आधारित रेटिंग पद्धति

3. आरबीपी फ्रेमवर्क में दो-स्तरीय जोखिम आधारित रेटिंग पद्धति, बैंकों का जोखिम वर्गीकरण और जोखिम आधारित प्रीमियम, प्रभावी प्रीमियम दर, रेटिंग ओवरराइड नीति, प्रकटीकरण नीति और समीक्षा नीति शामिल हैं। टियर 1 मॉडल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) पर लागू होगा। जोखिम रेटिंग में, रेटिंग के उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक की 'जोखिम आधारित' पर्यवेक्षी रेटिंग, मात्रात्मक मूल्यांकन और बीमाकृत बैंकों के विफल होने से जमा बीमा निधि (डीआईएफ) को होने वाले संभावित नुकसान का संयोजन उपयोग किया जाएगा। छोटे विदेशी बैंकों, जो स्मॉल बैंक वेरिएंट मॉडल (जोखिम आधारित पर्यवेक्षण मुख्य मॉडल के वेरिएंट) के अधीन आते हैं, और लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) के लिए, पर्यवेक्षी रेटिंग का वेटेज मात्रात्मक मूल्यांकन में बदल दिया जाएगा।

4. टियर 2 मॉडल आरआरबी, ग्रामीण सहकारी बैंकों [राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी), जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी)], और शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) पर लागू होगा। टियर 2 मॉडल, रेटिंग के उद्देश्य से, मात्रात्मक मूल्यांकन और ऐसे बैंकों के विफल होने से डीआईएफ को होने वाले संभावित नुकसान के संयोजन को प्रयोग में लाता है।

5. स्थानीय क्षेत्र के बैंक (एलएबी) और भुगतान बैंक (पीबी) कार्ड दर (अर्थात, प्रति वर्ष निर्धारणीय जमाराशि (एडी) के प्रति ₹100 पर 12 पैसे) का भुगतान जारी रखेंगे, क्योंकि उन्हें 'जोखिम आधारित मूल्य निर्धारण मॉडल में लाने की डेटा पॉइन्ट सीमाएं हैं।

6. टियर 1 और 2 मॉडल बैंकों के लिए मात्रात्मक मूल्यांकन -वस्तुनिष्ठ वित्तीय मापदंडों अर्थात शोधन क्षमता अनुपात (जैसे पूंजी-पर्याप्तता और उसकी संरचना की गुणवत्ता), आस्ति गुणवत्ता अनुपात, चलनिधि, लाभप्रदता संकेतकों, और दूसरे मापदंडों पर आधारित होगा। नियामकों द्वारा अनिवार्य किए गए कॉर्पोरेट गवर्नेंस मापदंड जैसे कि प्रमुख प्रबंधन कार्मिक/प्रबंधन बोर्ड/पेशेवर निदेशकों की उपस्थिति, वित्तीय मापदंडों के अलावा टियर 2 मॉडल के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण गैर-वित्तीय मापदंड (अन्य मापदंड) होंगे।

7. बैंकों की जोखिम श्रेणी निर्धारित करने के लिए नवीनतम उपलब्ध लेखा परीक्षित वित्तीय वर्ष-अंत डेटा और पर्यवेक्षी रेटिंग का उपयोग किया जाएगा। उदाहरण के लिए, बैंकों को वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर 2026) के लिए प्रीमियम 31 मई 2026 तक अग्रिम में देना होगा, जो मार्च 2026 के अंतिम दिन के निर्धारणीय जमाराशि (एडी) पर आधारित होगा। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के प्रीमियम को तय करने के लिए, जोखिम वर्गीकरण नवीनतम उपलब्ध लेखा परीक्षित वित्तीय वर्ष-अंत डेटा और पर्यवेक्षी रेटिंग के आधार पर किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि मार्च 2025 के लिए पर्यवेक्षी रेटिंग उपलब्ध नहीं है, तो मार्च 2024 की उपलब्ध रेटिंग का उपयोग किया जाएगा। इसी प्रकार, वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी छमाही (अक्टूबर 2026-मार्च 2027) के लिए, यदि मार्च 2026 का वित्त वर्ष-अंत डेटा/ पर्यवेक्षी रेटिंग उपलब्ध नहीं है, तो मार्च 2025 का डेटा/रेटिंग उपयोग किया जाएगा।

रेटिंग वर्गीकरण और जोखिम आधारित प्रीमियम

8. निगम की आंतरिक रेटिंग पद्धति का उपयोग करके प्राप्त जोखिम मूल्यांकन स्कोर के आधार पर, प्रत्येक बैंक को चार समूहों में वर्गीकृत किया जाएगा, अर्थात ए, बी, सी और डी, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है, जिसमें श्रेणी ए वाले बैंक निम्नतम जोखिम श्रेणी वाले बैंक हैं। श्रेणी ए, बी, सी और डी के लिए जोखिम आधारित प्रीमियम कार्ड दर निर्धारणीय जमाराशि (एडी) के प्रति ₹100 पर क्रमशः 8 पैसे, 10 पैसे, 11 पैसे और 12 पैसे होगी।

तालिका: रेटिंग वर्गीकरण और प्रीमियम दरें

रेटिंग वर्गीकरण	**ए**	**बी**	**सी**	**डी**
वर्तमान प्रीमियम कार्ड दर	12	12	12	12
नई प्रीमियम कार्ड दर	8	10	11	12
कार्ड दर पर छूट	33.33%	16.67%	8.33%	0%

नोट: प्रीमियम दरें प्रति वर्ष निर्धारणीय जमाराशि (एडी) के प्रति ₹100 पर पैसे में हैं।

प्रीमियम की प्रभावी दर

9. आरबीपी फ्रेमवर्क विंटेज (अर्थात डीआईसीजीसी के जमा बीमा निधि में, बिना किसी बड़े स्ट्रेस इवेंट या डीआईसीजीसी से दावा भुगतान के, लंबे समय तक योगदान) का लाभ भी प्रदान करेगा। विंटेज इंसेंटिव 25 वर्ष या उससे अधिक समय से मौजूद बैंकों के लिए अधिकतम 25% की छूट के अधीन, टियर

1 मॉडल में बैंकों को प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 1% इंसेंटिव के रूप में दिया जाएगा, बशर्ते बैंकों का कोई पुनर्गठन/बड़े संकट का रिकॉर्ड न हो।[a]

10. टियर 2 बैंकों के लिए, विंटेज लाभ आरआरबी, ग्रामीण सहकारी बैंकों (एसटीसीबी, डीसीसीबी) और टियर-4 यूसीबी (आरबीआई के यूसीबी के चार-स्तरीय वर्गीकरण के अनुसार, अर्थात जमाराशि > ₹ 10,000 करोड़) को दिया जाएगा, ताकि इन बैंकों को 25% का इंसेंटिव प्राप्त हो, यदि बैंकों ने बिना किसी पुनर्गठन /बड़े संकट की घटना के 25 वर्षों तक संतोषजनक आचरण पूरा किया है तो।

11. पुनर्गठन या बड़े संकट की स्थिति में, विंटेज इंसेंटिव की गणना ऐसे पुनर्गठन या बड़े संकट की तारीख से की जाएगी। विंटेज इंसेंटिव की संगणना के लिए पिछले वित्तीय वर्ष की अंतिम-तारीख को ध्यान में रखा जाएगा। उदाहरण के लिए, *वित्त वर्ष 27 की पहली छमाही और वित्त वर्ष 27 की दूसरी छमाही का प्रीमियम निर्धारित करने के लिए, 31 मार्च 2026 तक पूर्ण वर्षों को विंटेज इंसेंटिव के लिए ध्यान में रखा जाएगा।*

12. प्रीमियम की प्रभावी दर जोखिम रेटिंग मॉडल और विंटेज इंसेंटिव का एक प्रकार्य होगी। प्रीमियम की प्रभावी दर की गणना इस प्रकार की जाएगी:
प्रभावी दर = कार्ड दर[b] * (1-जोखिम मॉडल_इंसेंटिव) * (1-विंटेज_इंसेंटिव)

13. आरबीआई के सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क (एसएएफ)/प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन (पीसीए) के अंतर्गत सभी यूसीबी 12 पैसे की कार्ड दर का भुगतान करना जारी रखेंगे और उन पर उस वित्तीय वर्ष से आरबीपी के लिए विचार किया जाएगा जिस वर्ष बैंक एसएएफ / पीसीए से बाहर आता है।

---

a. इसमें शामिल हैं - मोरेटोरियम लगाना, आरबीआई द्वारा बोर्ड सुपरसेशन, आरबीआई द्वारा एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति, आरबीआई द्वारा जमा राशि के आहरण पर प्रतिबंध (जैसे बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35ए के तहत सर्व समावेशी निदेश), बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत आरबीआई द्वारा पुनर्निर्माण की योजना।

b. प्रति वर्ष निर्धारणीय जमाराशि (एडी) के प्रति ₹100 पर 12 पैसे की वर्तमान कार्ड दर

रेटिंग ओवरराइड नीति

14. हालांकि ऊपर बताए अनुसार डीआईसीजीसी द्वारा तय की गई रेटिंग जोखिम-आधारित प्रीमियम निर्धारित करेगी, फिर भी यह डीआईसीजीसी के उस अधिकार पर कोई असर नहीं डालेगा कि वह बैंकिंग पर्यवेक्षक द्वारा उसके ध्यान में लाई गई किसी भी प्रतिकूल जानकारी/गतिविधि के मामले में और/या डीआईसीजीसी के आकलन के अनुसार, जिसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है, अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार रेटिंग को ओवरराइड कर सके। ऐसे मामलों में, संबंधित बैंक को अगली छमाही से डीआईसीजीसी द्वारा निर्धारित प्रीमियम का भुगतान करना होगा, जब तक कि वह डीआईसीजीसी के आकलन में सामान्य स्थिति में न आ जाए।

प्रकटीकरण नीति

15. डीआईसीजीसी प्रीमियम राशि का ''नोट्स टू अकाउंट' में खुलासा करने की मौजूदा नीति, जैसा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट - प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर संबंधी मास्टर निदेश के संदर्भ में आरबीआई द्वारा वर्तमान में अनिवार्य किया गया है, को बंद कर दिया जाएगा, जिसके लिए आरबीआई एक अलग परिपत्र जारी करेगा। बैंकों को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह खुलासा करना होगा कि *'लागू जमा बीमा प्रीमियम का भुगतान डीआईसीजीसी को निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया गया है'।* यदि बैंक आवश्यक समय-सीमा के अनुसार भुगतान नहीं करता है, तो उसे इसका भी खुलासा करना होगा।

16. डीआईसीजीसी, बीमाकृत बैंक के एमडी/सीईओ को जोखिम रेटिंग श्रेणी की जानकारी पूरी गोपनीयता के साथ सूचित करेगा। 'प्रभावी प्रीमियम दर' के आधार पर भुगतान किया जाने वाला प्रीमियम, भुगतान चक्र की शुरुआत में डीआईसीजीसी 'न्यू इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन सिस्टम' ('सम्यक') में बैंक को उपलब्ध कराया जाएगा।

17. बैंकों द्वारा किसी भी परिस्थिति में जोखिम श्रेणी का खुलासा नहीं किया जाएगा और इसका उपयोग किसी भी व्यवसाय पाने के लिए नहीं किया जाएगा, अन्यथा डीआईसीजीसी /आरबीआई/नाबार्ड, उचित समझे जाने पर दंडात्मक कार्रवाई करेंगे।

18. बीमाकृत बैंकों को डीआईसीजीसी विनियमावली, 1961 की धारा 19(1) के तहत निर्धारित समय-सीमा के अनुसार प्रीमियम का समय पर भुगतान करना होगा, अर्थात् डीआईसीजीसी के 'सम्यक'

पोर्टल में छमाही शुरू होने के बाद, परंतु किसी भी स्थिति में, उस छमाही के दूसरे माह के अंतिम दिन तक, जिसके लिए अलग से निर्देश दिए जाएंगे।

समीक्षा नीति

19. आरबीपी फ्रेमवर्क की समीक्षा तीन वर्षों में कम से कम एक बार की जाएगी।

20. बीमाकृत बैंकों के लिए संशोधित प्रीमियम **1 अप्रैल 2026** से लागू होगा।

भवदीय

ह.

(अनूप कुमार)
मुख्य महाप्रबंधक

CO.DICG.IOD.No.S1803/04-01-046/2025-2026 February 06, 2026

All Insured Banks

Dear Sir/Madam,

Implementation of Risk Based Premium (RBP) Framework

As you are aware, the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) has been operating the deposit insurance scheme in India since 1962 as per the provisions of DICGC Act, 1961. Since inception, DICGC has levied a flat rate premium to fund the scheme. At present, banks are charged a premium of 12 paise per ₹100 of assessable deposits (AD) per annum (paid on half-yearly basis), vide DICGC circular DICGC.RPIC.No. 2676/02.01.003/2019-20 dated February 5, 2020. While the flat rate premium system is simple to understand and administer, it does not differentiate banks which manage the risks better.

2. Based on a comprehensive review, DICGC has, with the approval of the Reserve Bank, decided to implement a Risk Based Premium (RBP) Framework with effect from April 1, 2026, in terms of the provision under Section 15(1) of the DICGC Act, 1961 which provides for differential premium rates for different categories of insured banks. The RBP Framework incentivises sound risk management by banks and facilitates better managed banks to pay a lower premium than the Card Rate of 12 paise per ₹100 of AD per annum.

Risk Based Rating Methodology

3. The RBP Framework includes a two-tier Risk Based Rating Methodology, Risk Categorisation of banks and Risk based premium, Effective Premium Rate, Rating Override Policy, Disclosure Policy and Review Policy. The Tier 1 Model will be applicable to Scheduled Commercial Banks (SCBs) other than Regional Rural Banks (RRBs). Risk rating will employ a combination of 'Risk Based' Supervisory ratings of

Reserve Bank, quantitative assessment and potential loss to Deposit Insurance Fund (DIF) from failure of insured banks, for the purpose of rating. For small foreign banks that are subject to Small Bank Variant Model (variant of the Risk Based Supervision Main model), and Small Finance Banks (SFBs), weightage of supervisory ratings will be shifted to quantitative assessment.

4. Tier 2 Model will be applicable to RRBs, Rural Cooperative Banks [State Cooperative Banks (StCBs), District Central Cooperative Banks (DCCBs)], and Urban Cooperative Banks (UCBs). Tier 2 Model employs a combination of quantitative assessment and potential loss to the DIF from failure of such banks, for the purpose of rating.

5. Local Area Bank (LABs) and Payments Banks (PBs) will continue to pay the card rate (i.e., 12 paise per ₹100 of AD per annum) as there are data point limitations to bring them into a Risk Based Pricing model.

6. Quantitative Assessment for Tier 1 and 2 model banks will be based on objective financial parameters viz., solvency ratios (e.g. capital adequacy and quality of its composition), asset quality ratios, liquidity, profitability indicators, and other parameters. Corporate Governance parameters such as presence of Key Management Personnel/Board of Management/Professional Directors as mandated by regulators will be an important non-financial criterion (other parameter) under Tier 2 model in addition to financial parameters.

7. Latest available audited financial year-end data and supervisory rating will be used for arriving at the risk category of banks. To illustrate, the banks are required to pay premium in advance for 1st half-year (HY) of FY 2026-27 (April-September 2026) by May 31, 2026, based on AD as on last day of March 2026. For arriving at the premium for the 1st HY of FY 2026-27, risk categorisation will be done based on the latest available audited financial year-end data and supervisory ratings. For instance, if supervisory rating is not available for March 2025, available rating as of March 2024 will be used. Similarly, for 2nd HY of FY2026-27 (October 2026-March 2027), if the FY

- end data /supervisory rating for March 2026 is not available, the data /rating as of March 2025 will be used.

Rating categorisation and Risk Based Premium

8. Based on the risk assessment score obtained using the internal rating methodology of the Corporation, each bank will be categorised into four groups, namely A, B, C and D as shown in Table below with banks in category A having the lowest risk category. The Risk Based Premium card rate for category A, B, C and D will be 8 paise, 10 paise, 11 paise and 12 paise per ₹100 of AD, respectively.

Table: Rating Categorisation and Premium Rates

Rating Category	A	B	C	D
Current Premium card rate	12	12	12	12
New Premium card rate	8	10	11	12
Discount over card rate	33.33%	16.67%	8.33%	0%

Note: Premium rates are in paise per ₹100 of AD per annum.

Effective rate of premium

9. The RBP framework will also provide benefits of vintage (signifying longer contribution to DICGC's Deposit Insurance Fund without any major stress events or claim payouts from DICGC). Vintage incentive will be provided to the banks in Tier 1 model in the form of 1% incentive for each completed year, subject to a maximum discount of 25% for banks with 25 years or longer in existence, subject to the banks having no record of restructuring/major distress[a].

10. For Tier 2 banks, vintage benefit will be provided to RRBs, Rural co-operative banks (StCBs, DCCBs) and Tier-4 UCBs (as per RBI's four-tier classification of UCBs, i.e., deposits > ₹ 10,000 crore), such that these banks get an incentive of 25%, if the banks have completed 25 years of satisfactory conduct without any event of restructuring/major distress.

[a] includes - Imposition of Moratorium, Board Supersession by RBI, Appointment of Administrator by the RBI, Restriction on withdrawal of deposits by RBI (e.g. All-inclusive Directions under Sec 35A of BR Act 1949), Scheme of Reconstruction by RBI under the BR Act, 1949.

11. In the event of restructuring or major distress, the vintage incentive will be calculated from the date of such restructuring or major distress. End-date of previous financial year will be considered for computing vintage incentive. To illustrate *while arriving at premium for 1st HY of FY 27 and 2nd HY of FY 27, completed years as on March 31, 2026 will be considered for vintage incentive.*

12. The effective rate of premium will be a function of the risk rating model and vintage incentive. The effective rate of premium will be calculated as under:

$$Effective\ Rate = Card\ Rate^{b} * (1 - Risk_model_incentive) * (1 - Vintage_incentive)$$

13. All UCBs under the Supervisory Action Framework (SAF)/ Prompt Corrective Action (PCA) of RBI will continue to pay the card rate of 12 paise and will be considered for RBP from the financial year following the year in which the bank exits SAF/PCA.

Rating Override Policy

14. While the rating as arrived by DICGC as indicated above will determine the risk-based premium, this will be without prejudice to DICGC's right to override the rating as per its Board approved policy in case any adverse information/development is brought to its notice by the banking supervisor and/ or as per DICGC's assessment that may be considered material in nature. In such cases, concerned bank will be required to pay such premium as assessed by DICGC from the next HY, until it returns to normalcy in the assessment of DICGC.

Disclosure Policy

15. The extant policy of disclosure of DICGC premium amount paid in the 'Notes to Account', as currently mandated by RBI in terms of Master Direction on Financial Statements - Presentation and Disclosures will be discontinued, for which RBI will issue a separate circular. Banks shall be required to disclose in their annual reports that '*deposit insurance premium as applicable was paid to DICGC within the*

[b] Present Card Rate of 12 paise per ₹100 of AD per annum

prescribed timelines'. In case bank has not paid as per the required timeline, same shall also be disclosed.

16. The DICGC will communicate risk rating category to the MD/CEO of the insured bank in strict confidence. Premium to be paid based on the 'effective premium rate' shall be made available to the bank in DICGC 'New Integrated Application System ('Samyak') at the start of the payment cycle.

17. The risk category shall not be disclosed by the banks under any circumstance and shall not be used to solicit any business, failing which DICGC/RBI/NABARD, shall take penal action as deemed appropriate.

18. Insured banks will be required to make timely payment of the premium as per timelines prescribed under Section 19(1) the DICGC Regulations, 1961, i.e., after the commencement of the half year, but in any event, not later than last day of the second month of that half year, in the 'Samyak' Portal of DICGC, for which separate instructions will follow.

Review Policy

19. The RBP framework will be reviewed at least once in three years.

20. The revised premium for the insured banks will be effective from **April 1, 2026.**

Yours sincerely,

Anup Kumar

(Anup Kumar)
Chief General Manager